क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
प्लॉट संख्या 14–15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे,
सवाई माधोपुर (राज.) 322001
ई–मेल :– rorpcb.swm@gmail.com
दुरभाष नं. 07462–294921

रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स-मा./2023–24 / 236 दिनांक 16-05-2023

खुली बोली आमंत्रण सूचना 01 / 2023–24

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए इस कार्यालय में कार्य आधार पर 2 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एवं 1 सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर) दर अनुबंध पर सेवा उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता / संवेदकों से खुली–बोली (तकनीकी–वाणिज्यिक / क्वालिफाइंग बिड व वित्तीय / प्राईस बिड) दिनांक **25.05.2023** को दोपहर 01.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि उसी दिन अपरान्ह 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना एवं खुली–बोली दस्तावेज वेबसाईट **www.sppp.rajasthan.gov.in**तथाविभागीय वेबसाईट **http://environment.rajasthan.gov.in** पर देखी व डाउनलोड की जा सकते है।

(हस्ताक्षर)
(दीपेन्द्र झरवाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., सवाई माधोपुर

प्रकाशन योग्य नहीं

रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स-मा./2023–24 /237 - 239 दिनांक 16-05-2023

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन नियमानुसार एक क्षेत्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में कम से कम स्थान पर डीपीआर की दरों में आगामी अंक में यथा शीघ्र प्रकाशित कराने का श्रम करें।
2. एसीपी,राराप्रनिमं, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर उक्त NIB के सादर प्रकाशनार्थ।
3. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु – नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा / कलेक्ट्रट सवाई माधोपुर / नगर परिषद सवाई माधोपुर / कोषालय सवाई माधोपुर।

(हस्ताक्षर)
(दीपेन्द्र झरवाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., सवाई माधोपुर

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
प्लॉट संख्या 14–15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे,
सवाई माधोपुर (राज.) 322001
ई–मेल :– rorpcb.swm@gmail.com
दुरभाष नं. 07462–294921

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना 01/2023–24

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए इस कार्यालय में कार्य आधार पर 2 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एवं 1 सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर) दर अनुबंध पर सेवा उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक जो कि राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (GST), आय कर (पैन नम्बर) एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से निम्नलिखित प्रकार से खुली–बोली (तकनीकी–वाणिज्यिक/क्वालिफाइंग बिड व वित्तीय/प्राईस बिड) आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित लागत (रूपये)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रूपये)	बोली प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र खोलने की दिनांक एवं समय
1	2 कम्प्युटर ऑपरेटर मय मशीन	5,50,000/-	11000/–	500/-	25.05.2023 दोपहर 01:00 बजे तक	25.05.2023 दोपहर 01:00 बजे तक	25.05.2023 अपरान्ह 03:00 बजे तक
2	2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी						
3	1 सफाई कर्मचारी (अंशकालीन)						

1. खुली बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज, विभागीय वेबसाईट राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाईट **http://environment.rajasthan.gov.in** पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।
2. खुली बोली प्रतिभूति राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक **क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं. (REGIONAL OFFICER RSPCB SAWAI MADHOPUR),सवाई माधोपुर** के नाम बनाना होगा।
3. निविदादाता द्वारा तकनीकी वाणिज्यिक/क्वालिफाइंग बिड एवं वित्तीय बिड अलग–अलग लिफाफों में सील बन्द कर प्रस्तुत की जावेगी।
4. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व निविदा खोलने की तिथि को राजकीय अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व निविदा खोलने की तिथि मानी जावेगी।
5. खुली बोली (तकनीकी वाणिज्यिक/क्वालिफाईंग बिड) दिनांक **25.05.2023** को अपरान्ह 3.00 बजे **"कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मंडल, सवाई माधोपुर "** कक्ष में उपस्थित बोलीदाता/संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी। तकनीकी बिड में सफल पाये गये संवेदकों की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
6. किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित हैं।
7. वित्त विभाग (G&T) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के अनुसार प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जावेगा। अतः प्लेसमेन्ट एजेन्सी इस उपापन हेतु पात्र नहीं होगी।

CamScanner

8. मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अन्तर्गत प्लेसमेंट एजेंसीज या संवेदक या सेवा प्रदाता के माध्यम से ठेके/संविदा/अनुबंध/जॉब बेसिस पर मानव श्रम की सेंवाऐ लेने की प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की गई है, इसके सम्बन्ध में यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई आदेशों/निर्देश जारी किये जाते है, तो उक्त निविदा राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी होने वाले समस्त आदेशों/निर्देशो/निर्णयो के अध्यधीन होगी।

दीपेन्द्र

(दीपेन्द्र झरवाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., सवाई माधोपुर

CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
प्लॉट संख्या 14–15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे,
सवाई माधोपुर (राज.) 322001
ई–मेल :– rorpcb.swm@gmail.com
दुरभाष नं. 07462–294921

बोली प्रपत्र– मानव संसाधन की सेवाओं का उपापन NIB 01/2023-24
प्रपत्र–अ तकनीकी बोली

बोली सूचना संख्या : दिनांक
कार्य का नाम : कार्यालय में मानव संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु।
कार्य की अनुमानित लागत : रूपये 5,50,000/–
बोली प्रपत्र शुल्क : रूपये 500/–
बोली प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समयः 25.05.2023 दोपहर 01:00 बजे तक
बोली प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि व समयः 25.05.2023 दोपहर 01:00 बजे तक
बोली खोलने की तिथि व समयः 25.05.2023 अपरान्ह 03:00 बजे

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम ....
2. डाक का पता ....
....
3. फोन/मोबाईल नं0 ....
4. ई–मेल ....
5. बैंक का नाम :– ....
IFSC CODE..
खाता संख्या :–..

6. किसको संबोधित किया गया हैः क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर।
7. बोली प्रपत्र शुल्क की राशि रू 500/–(**REGIONAL OFFICER RSPCB SAWAI MADHOPUR**) के पक्ष में Payable at Sawai Madhopur का बैंकर चैक/डी०डी० द्वारा जमा करा दी गई/संलग्न है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र.सं.	संख्या	जारी दिनांक	जारी कर्ता बैंक एवं शाखा का नाम	राशि रू०

8. बोली के अनुसार बोली प्रतिभूति (Bid security) के रूप में राशि Regional officer, RSPCB, Sawai Madhopur के पक्ष में Payable at Sawai Madhopur का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट बोली प्रपत्र के साथ संलग्न है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र.सं.	संख्या	जारी दिनांक	जारी कर्ता बैंक एवं शाखा का नाम	राशि रू०

CamScanner

बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न करनी होगी

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	पंजीकरण की विधिमान्य अन्तिम दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970					
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952					
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948					
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)					
5.	आय कर (पैन नम्बर)					
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत					
7	Annexure "A" (Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest)					
8	Annexure "B" (Declaration by the Bidder regarding Qualifications Declaration by the Bidder)					
9	Annexure "C" (Grievance Redressal during Procurement Process)					
10	Annexure "D" (Additional Conditions of Contract)					
11	Annexure "E" (Financial undertaking)					
12	Annexure "F" (Annual turn over last three year 2020-21, 2021-22, 2022-23)					

9. खुली बोली प्रतिभूति राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक **क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं.(RSPCB), सवाई माधोपुर** के नाम बनाना होगा, जो तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा।
10. खुली बोली (तकनीकी वाणिज्यिक/क्वालिफाईंग बिड) दिनांक 25.05.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे **""कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मंडल, सवाई माधोपुर "** कक्ष में उपस्थित बोलीदाता/संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी। तकनीकी बिड में सफल पाये गये संवेदकों की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
11. किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित हैं।
12. वित्त विभाग (G&T) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के अनुसार प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जावेगा। अतः प्लेसमेन्ट एजेन्सी इस उपापन हेतु पात्र नहीं होगी।
13. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 3 वित्तीय वर्षो (2020–21, 2021–22, 2022–23) में वित्तीय वर्ष का औसत न्यूनतम टर्नओवर 15 लाख होना चाहिये, जिसके समर्थन में चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा यू.डी.

CS CamScanner

आई.एन. नम्बर सहित वर्षवार टर्नओवर स्टेटमेन्ट की प्रति तकनीकी बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

14. मानव संसाधन कार्मिकों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/बढाई जा सकती है।
15. श्रम विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कार्मिकों की दरों में परिवर्तन होने पर न्यूनतम दर की अन्तर राशि का ही भुगतान किया जावेगा किन्तु सर्विस चार्ज की राशि में कोई बदलाव स्वीकार्य नही होगा।
16. संस्था द्वारा नियोजित कार्मिक को श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित न्यूनतम राशि से कम भुगतान किये जाने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
17. निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड के साथ विगत 3 माह (जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक) की EPF एवं ESI में कम से कम 15 व्यक्तियों का अंशदान जमा होना अनिवार्य है, जिसके समर्थन में उक्त 3 माह की EPF की पेमेन्ट कन्फर्मेशन रिपोर्ट एवं ESI की माहवार समरी (Month Wise Summary) की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करनी होगी।
18. निविदादाता द्वारा ESI, EPF, GST में पंजीकरण के पश्चात उक्त पंजीयन बीच में कभी भी निरस्त अथवा बन्द नहीं होने का संस्था के लेटरहैड पर शपथ पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
19. जीएसटी पोर्टल से Nature of Business की सूची, BRN की छायाप्रति एवं फर्म का मार्च 2023 के अकाउन्ट स्टेटमेन्ट की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें।
20. बोली प्रपत्र के साथ समस्त अनुलग्नक हस्ताक्षरित कर, संलग्न कर दिये गये है।
21. मैं/हम क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण सूचना...................... दिनांक .... में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न प्रपत्रों Annexure A,B,C,D,E,F, (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तो को मेरे/हमारें द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में मैनें/हमनें हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त बोली सूचना की समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते है कि मेरे/हमारे द्वारा बोली के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जॉच मेरे/हमारें द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक एवं मौलिक रूप से सहीं है। यदि बोली प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रामाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बोली/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्ध कानून/विधि समस्त दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
प्लॉट संख्या 14–15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे,
सवाई माधोपुर (राज.) 322001
ई–मेल :– rorpcb.swm@gmail.com
दुरभाष नं. 07462–294921

खुली–बोली की मुख्य शर्ते

General terms & conditions of Bid & Contract:-

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Pubilc procurement Act, 2012"[hereinafter called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 "[hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनिगय 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए तकनीकी बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
4. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति, EPF पेमेन्ट की ECR एवं PCR, ESI की Month wise Summary प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
8. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

CamScanner

9. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

10. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वंय उत्तरदायी होगा।

11. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये इस विभाग के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

12. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

13. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

14. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।

15. मानव संसाधन कार्मिकों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गांरटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का अधिकारी नहीं होगा। कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर सम्बन्धित कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।

16. न्यूनतम बोलीदाता (L-1) द्वारा कार्य करने में असमर्थ होने पर समान दर पर द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता (L-2) को कार्य दिया जा सकेगा तथा न्यूनतम बोलीदाता (L-1) से बोली प्रतिभूति राशि /सम्पादन प्रतिभूति राशि जप्त की जाकर राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

17. न्यूनतम निविदा दरें एक से अधिक संस्थाओं की प्राप्त होने पर किसी भी एक संस्था को अथवा एक से अधिक संस्थाओं को कार्य विभाजन कर कार्यादेश जारी करने का अधिकार क्रय समिति के विवेकाधीन होगा।

18. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास की कालावधि के लिए बढाई जा सकेगी, ।

19. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

20. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

CS CamScanner

21. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह आदेश जारी होने की तिथि से 07 दिवस में कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।

22. मूल्यांकन की कसौटी – तकनीकी–वाणिज्यिक बोली मे सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईग बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।

23. बोलियों का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

24. बोली प्रतिभूति राशि " **क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं.(RSPCB), सवाई माधोपुर** " के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जावेगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी।बोली प्रतिभूति का समपहरण (forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है ।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है ।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है ।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता हैं।

(ड.) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

25. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक " **क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं.(RSPCB), सवाई माधोपुर** " के नाम पर जमा करानी होगी 500 रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र पर निष्पादन करना होगा।

(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

26. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit) :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा:–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो ।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा । इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

27. भुगतानः–

(i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल **दो प्रतियो** में इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाऐगा । अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

28. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):– परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5%

CS CamScanner

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए – 5%

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए – 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए – 10%

(ङ.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(छ) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

29. **वित्त (G&T) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी /2017 दिनांक 30.04.2018 के अनुसार प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जावेगा, अतः प्लेसमेन्ट एजेन्सी इस उपापन हेतु पात्र नहीं होगी।**
30. प्रशिक्षित कार्मिक के चाल–चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी।
31. बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।

(दीपेन्द्र झरवाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., सवाई माधोपुर

CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
प्लॉट संख्या 14–15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे,
सवाई माधोपुर (राज.) 322001
ई–मेल :– rorpcb.swm@gmail.com
दुरभाष नं. 07462–294921

क्रमांक :

दिनांक :

कम्म्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक का विवरण, जॉब/कार्य एवं विशिष्ट शर्तें

1. **Computer System -Includs the following items with specifications :**
   a. Computer - Intel Core i3/Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office. Responsibility of software license will be borne by the contractor.
   b. Printer - Black and white laser printer with speed 15 ppm or more For specific needs, Dot Matirix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

2. **Trained Personnel**
   A - The Personnel should be Graduate, should have knowledge to operate computer in Windows/Linux environment, good knowledge/practice in Word Processor, Spread Sheets and Internet operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English
   B - The Personnel shall have at least two years experience of typing in Hindi and English

3. **जॉब/कार्य :– कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) का जॉब/कार्य का विवरण इस प्रकार है।**

1. राजकीय कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक कार्य करना।
2. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में प्रर्याप्त गति से टंकण कार्य एवं प्रिन्टिंग करना।
3. डाटा एन्ट्री का कार्य करना।
4. एम.एस.वर्ड एम.एस. एक्सल, पावर पॉइन्ट आदि में कार्य करना।
5. ई–मेल करना/प्राप्त करना।
6. विभिन्न पोर्टल/मोड्यूलस में सूचनाओं को अपलोड एवं अद्यतन करना।
7. ई–गवनेंस में कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित संबंधित कार्य करना।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित एवं सूचना तकनीक से संबंधित अन्य आवंटित कार्य करना।

विशिष्ट शर्तें –

1. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर बिल सत्यापन उपरान्त बोलीदाता के खाते में किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।
2. किसी भी माह के चार कार्य दिवस से अधिक ऑपरेटर के गैर हाजिर रहने पर देय राशि में से नियमानुसार कटौती की जावेगी।
3. विशेष परिस्थितियों मे यह विभाग इस चार दिन की अवधि को बढा सकता हैं जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे, एवं यदि बढी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह बोलीदाता को अन्यत्र स्वंय के खर्चे पर करवा कर देना होगा।
4. कम्पयूटर सेवाओं के लिये किसी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।

CamScanner

5. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (इस विभाग व बोलीदाता) द्वारा **सवाई माधोपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी**, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।

6. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कम्प्यूटर के डेटा को सुरक्षित रखेगा तथा कम्प्यूटर को बदलने या हटाने की स्थिति में उक्त डेटा को विभाग को संभलवायेगा तथा कम्प्यूटर सिस्टम से डिलिट किया जायेगा।

7. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाये रखनी होगी। बिना अनुमति डेटा का प्रकटीकरण नहीं करेगा। डेटा से छेडछाड/रद्दोबदल/धोखाधडी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

8. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) कार्यालय में गरिमा बनाये रखेगा, सद्व्यवहार करेगा एवं धूम्रपान नहीं करेगा।

9. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) अवैध गतिविधि/अनैतिक कार्यों में संलिप्त नहीं रहेगा। उक्त कार्मिक का चाल–चलन एवं चरित्र अच्छा होना चाहिए।

10. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा अपेक्षित जॉब/कार्य नहीं करने पर संवेदक/ बोलीदाता द्वारा 4 दिवस में उसके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित कार्मिक/(ऑपरेटर) उपलब्ध करवायेगा।

11. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य स्थल पर घूम्रपान करने/अशिष्ट या दुर्व्यवहार करने/गंदगी फैलाने/नशाखोरी करने पर तत्काल प्रभाव से उसे हटा दिया जावेगा तथा संवेदक/बोलीदाता द्वारा उक्त कार्मिक को इस उपापन संस्था से अनुबंधित अन्य स्थान या अधिकारी के यहां भी नहीं लगायेगा जबकि अन्य प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) की उनके स्थान पर लगाने की तत्काल व्यवस्था करेगा।

12. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य छोडने/स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने पर संवेदक/बोलीदाता द्वारा उनके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) लगाये जाने की तत्काल व्यवस्था करनी होगी।

13. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य स्थल पर लैंगिक भेदभाव या उत्पीडन करने/अवैध गतिविधि या अनैतिक कार्य में संलिप्तता की शिकायत प्राप्त होने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा उसके विरूद्ध निमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

14. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) के चाल–चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी।

15. सवेंदक/निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) व सहायक की निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करनी होगीः–

क.सं.	कार्मिक का नाम	पिता/पति का नाम	योग्यता	निवास पता मय मोबाईल नं.	ईपीएफ पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	ईएसआई पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	आधार नं.

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

CamScanner

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का विवरण, जॉब/कार्य/शर्तें

1. सामान्यतः कार्यालय कार्य दिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक कार्य करना होगा। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुये किसी भी दिन अतिरिक्त समय भी कार्मिक को कार्य करना होगा इसके लिए अलग से कोई मानदेय भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. कोई भी कर्मचारी किसी भी स्थिति में बिना पूर्व सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रह सकता है। सभी कर्मचारियों को कार्यालय की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाये रखनी होगी। बिना अनुमति किसी भी सूचना का मौखिक या लिखित प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। कार्यालय के कागजात एवं अन्य सामग्री से छेड़छाड़/रद्दोबदल/धोखाधड़ी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
3. राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होगे।
4. प्रतिदिन 9 बजे उपस्थित होकर सम्पूर्ण कार्यालय परिसर में टेबल कुर्सियों की साफ सफाई, कागजात/पत्रावलियों को निर्देशानुसार व्यवस्थित करना, कार्यालय कार्मिकों तथा आगंतुकों हेतु जल–पान–आतित्थ्य की निर्देशानुसार व्यवस्था करने, कार्यालय परिसर को व्यवस्थित करना, आदि।
5. बागवानी सम्बन्धी अन्य कोई कार्य जो क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बताया जाये।
6. संबंधित अधिकारी द्वारा आवंटित अन्य कार्य करना।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

CamScanner

सफाई कार्मिक (अंशकालीन आधार पर) का विवरण, जॉब/कार्य/शर्तें

1. सफाई कार्मिक को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार (अंशकालीन आधार पर) ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. कोई भी कर्मचारी किसी भी स्थिति में बिना पूर्व सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रह सकता है।
3. कार्यालय साफ–सफाई कार्य हेतु आवश्यक सामग्री उपापन संस्था द्वारा ही उपलब्ध करवाई जावेगी। जिसका लेखा–जोखा निविदादाता को रखना होगा एवं पूर्व में उपलब्ध करवाई गई सामग्री के उपयोग का पूर्ण विवरण कार्यालय को दिये जाने पर ही नवीन सामग्री कार्य प्रयोजनार्थ दी जावेगी। दी गई सामग्री में किसी भी प्रकार की कमी–पेशी की सम्पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता की रहेगी।
4. क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में एकत्रित कचरे को किसी भी स्थिति में परिसर में नही जलाया जायेगा। शर्त का उल्लंघन दण्डनीय होगा।
5. बोलीदाता के सफाई कार्मिक की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति बोलीदाता को करनी होगी।
6. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
7. सफाई कार्मिक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर क्षेत्रीय कार्यालय निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
8. सफाई कर्मचारी को इस प्रयोजनार्थ लिये जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
9. राज्य सरकार द्वारा सफाई कार्मिक के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेश/नियम बोलीदाता को मान्य होगे।
10. संबंधित अधिकारी द्वारा आवंटित सफाई संबंधी अन्य कार्य करना।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

CamScanner

घोषणा पत्र

खुली बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में खुली–बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा ''अधिनियम'' की धारा 46 एवं ''नियम'' के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा ई–बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

CamScanner

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or

b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature of bidder with seal

CamScanner

Annexure B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ………………….. for procurement of …………………… in response to their Notice Inviting Bids No………….. Dated …………… I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :	Signature of bidder
Place :	Name :
	Designation :
	Address :

CamScanner

Annexure C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ------------------
----

The designation and address of the Second Appellate Authority is ---------------
----

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.

(d) Cancellation of a procurement process.

(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

CS CamScanner

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i)hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of bidder with seal

CS CamScanner

Additional Conditions of Contract

Annexure D

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

I. if these is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and total shall be corrected; and

III. if these is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder. whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter or procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder with seal

CS CamScanner

FINANCIAL UNDERTAKING

Annexure: E

I/We have clearly understand all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the tender document at the rate quoted by me/us at the destinations specificed by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the orders of concerned head of the office from time to time.

I/We will furnish the prescribed performance security amount of 5 % on the total value of the cost of the quantity for supply, within fifteen (15) days of the acceptance of my/our Bid and enter into agreement.

I/We are well aware of the forfeiture clause in the terms and conditions of the Bid and my/our Bid Security stand forfeited if I/we fail to furnish the prescribed performance security and also enter into agreement within the stipulated time (15 days) of acceptance of my/our bid and I/We will strictly abide by the terms and conditions etc. as per the agreement. In the event of non-fulfillment of contract by me/us, my/our security deposited or any amount available with the department is liable to be forfeited, award of supply contract stand cancelled besides blacklisting me/us.

SIGNATURE OF THE BIDDER

NAME:

ADDRESS:

CamScanner

Annexure: F

–: वार्षिक टर्न ओवर स्टेटमेंट :–

हमारी फर्म मैसर्स .... का तीन वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है :–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (लाखों में)
1	2020–21	
2	2021–22	
3	2022–23	

औसत टर्न ओवर :– ....

सी.ए. द्वारा प्रमाणित मय सील
नाम :–
मो0 नं0 :–

CamScanner

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No……………….of………….
Before the ……………………………….(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
(i) Name of the appellant :
(ii)Official address, if any :
(iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):
(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal :……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………… (Supported by an affidavit)

7. Prayer :……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Place …………………………
Date …………………………

Appellant's Signature

CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
प्लॉट संख्या 14–15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे,
सवाई माधोपुर (राज.) 322001
ई–मेल :– rorpcb.swm@gmail.com
दुरभाष नं. 07462–294921

प्रपत्र ब वित्तीय बोली/प्राईस बिड

कार्य आधारित (जॉब बेसिस) सेवाओं के उपापन के लिये खुली वित्तीय बोली/प्राईस बिडं निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी :–

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या एवं श्रमिकों की श्रेणी	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (प्रतिमाह प्रति ईकाई रु.)	EPF दर 13 प्रतिशत (नियोक्ता)	ESI दर 3.25 प्रतिशत (नियोक्ता)	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति इकाई रू.)	प्रति इकाई कुल राशि (अंकों व शब्दों में) कॉलम 4+7+ 8 का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कम्प्युटर मय प्रशिक्षित ऑपरेटर	उच्च कुशल 2	8658	(नियमानुसार)	(नियमानुसार)			
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अकुशल 2	6734	(नियमानुसार)	(नियमानुसार)			
3	सफाई कर्मचारी (अशकालीन आधार परे)	अकुशल 1	3367	(नियमानुसार)	(नियमानुसार)			

1. उपर्युक्त तालिका के कॉलम संख्या 1 से 6 की पूर्तियां संबंधित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेगी तथा शेष कॉलम संख्या 7 से 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।
2. संविदा कार्मिको को उनके खातों में किये गये भुगतान का प्रमाण पत्र, EPF, ESI और GST जमा के चालानों की प्रति प्रस्तुत करने पर ही आगामी बिल पारित किया जावेगा।
3. निविदा में सर्विस चार्ज की राशि ऋणात्मक तथा शून्य मान्य नहीं होगी। सर्विस चार्ज की राशि निकटतम रूपये में और औचित्य पूर्ण हों।
4. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
5. श्रमिकों को देय पारिश्रमिक प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी।

(दीपेन्द्र झरवाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., सवाई माधोपुर

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील
व मोबाइल नंबर

CS CamScanner